भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1915
दिनांक 31 जुलाई 2025

परित्यक्त तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन स्थल

†1915 **श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश भर में परित्यक्त घोषित किए गए तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन स्थलों (तटीय एवं अपतटीय) का राज्यवार एवं ठेकेदारवार ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसे परित्यक्त स्थलों का राज्यवार और ठेकेदारवार ब्यौरा क्या है जहां स्थल पुनर्स्थापन कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में प्रगति पर है तथा अभी शुरू होना बाकी है;
(ग) पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्थल पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने तेल एवं गैस परिसंपत्तियों का परिसमापन करने के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) करने हेतु कोई व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे दिशानिर्देश तैयार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) परित्यक्त तेल और गैस परिसंपत्तियों का वैज्ञानिक, समयबद्ध एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ स्थल पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा निगरानी एवं वित्तीय जवाबदेही तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): विगत पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, कुल 721 तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन स्थलों (अभितटीय और अपतटीय) को परित्यक्त घोषित किया गया है। इन स्थलों और जहां साइट का जीर्णोद्धार पूरा किया गया है या वर्तमान में प्रगति पर है या अभी शुरू किया जाना बाकी है का विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य-वार और कॉन्ट्रेक्टर-वार ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

तेल और गैस कंपनियों द्वारा साइट के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यालयों के लिए गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित और उपयोग में लाई गई निधियों का कंपनी-वार ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जैसा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा सूचित किया गया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, वेधन साइट को लगभग मूल स्थिति में लोन हेतु एक डीकमीशनिंग और परित्याग नीति शामिल करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को तैयार करने के लिए परियोजनाओं को संदर्भित शर्तें (टीओआर) जारी किए जाते हैं।

ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार, अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यकलापों को मदसंख्या के अंतर्गत 'क' श्रेणी में रखा गया है जिसके लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ईएसी ईएमपी का मूल्यांकन करती है और उसके बाद अतिरिक्त साईट-विशिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है। ईएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफसीसी द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) जारी की जाती है।

(च): भारत में परित्यक्त तेल और गैस साईट के जीर्णोद्धार सरकार द्वारा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के माध्यम से की जाती है, जो प्रस्तुत साईट जीर्णोद्धार योजना अथवा डीकमीशनिंग योजना के लिए अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कूपों को बंद करना, सतही अवसंरचना को हटाना, अपशिष्ट प्रबंधन और साईट को उसकी मूल अथवा पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य स्थिति में बहाल करना शामिल है। वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) और राजस्व साझेदारी संविदा (आरएससी) में साईट जीर्णोद्धार निधि (एसआरएफ) अथवा परित्यक्त निधि की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं, जिसमें प्रचालक क्षेत्र की उत्पादकता उपयोगिता में योगदान करते हैं। हालांकि, एसआरएफ लेख से निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव संतोषजनक डीकमीशनिंग कार्य प्रगति और डीजीएच के अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन है।

इसके अलावा, ईसी का अनुपालन और निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आईए अनुपालन एवं निगरानी प्रभाग (सीएंडएमडी) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओज) के माध्यम से करती है।, आरओज/एसआरओज स्थापित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार समय-समय पर निरीक्षण करते हैं तथा निगरानी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिन्हें विस्तृत मूल्यांकन और आपूर्ति कार्रवाई के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

*****

'परित्यक्त तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन स्थल' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 'क'।

पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान परित्यक्त और पुनर्स्थापना स्थलों का ब्यौरा					
प्रचालक	**राज्य**	**परित्यक्त कूपों की संख्या**	**कूपों की संख्या जिनके लिए एसआर पूरा हो गया**	**कूपों की संख्या जिनके लिए एसआर प्रगति पर है**	**उन कूपों की कुल संख्या जिनके लिए एसआर अभी शुरू किया जाना है**
एडब्ल्यूईएल	पश्चिमी अपतटीय	1	1	0	0
बीपीआरएल	गुजरात	3		3	
गेल	गुजरात	1		1	
जीएसपीसी	गुजरात	10	10	0	0
मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	गुजरात	1	0	0	1
ओआईएल	असम	89	88	1	0
	पूर्वी अपतटीय	8	9	0	0
	मिजोरम	0	2	1	1
	उड़ीसा	2	2	1	0
	राजस्थान	15	19	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	0
ओएनजीसी	आंध्र प्रदेश	24	0	0	24
	असम	86	0	0	0
	पूर्वी अपतटीय	1	1	0	0
	गुजरात	265	115	13	47
	झारखंड	2	0	0	2
	कच्छ-सौराष्ट्र अपतटीय	1	1	0	0
	मध्य प्रदेश	10		9	1
	राजस्थान	12	6	2	4
	तमिलनाडु	17	26	1	0
	त्रिपुरा	18	1	11	6
	पश्चिम बंगाल	2	1	1	0
	पश्चिमी अपतटीय	116	116	0	0
पीएमटी-जेवी	पश्चिमी अपतटीय	0	38	0	0
आरआईएल	पूर्वी अपतटीय	7	7	0	0
सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	गुजरात	2	2	0	0
वेदांता	असम	8	1	0	7
	गुजरात	10			10
	राजस्थान	8			8
योग		**721**	**448**	**44**	**111**

स्रोत: डीजीएच

'परित्यक्त तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन स्थल' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 'ख'।

पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान साइट बहाली गतिविधियों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा (रु.)										
प्रचालक	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
	निधि आवंटित	**निधि का उपयोग**	**निधि आवंटित**	**निधि का उपयोग**	**निधि आवंटित**	**निधि का उपयोग**	**निधि आवंटित**	**निधि का उपयोग**	**निधि आवंटित**	**निधि का उपयोग**
पीएमटी-जेवी	1,29,36,74,254	1,29,66,98,304	20,05,41,379	20,20,66,552			2,64,73,10,437	2,36,36,66,925	0	28,43,30,358
ओआईएल	1,00,00,000	40,89,520	50,00,000	63,47,757	50,00,000	71,98,049	54,42,878	1,61,74,244	5,59,79,948	5,76,65,809
ओएनजीसी		44,00,00,000		23,00,00,000		2,67,00,00,000		1,09,00,00,000		3,19,00,00,000
योग	**1,30,36,74,254**	**1,74,07,87,824**	**20,55,41,379**	**43,84,14,309**	**50,00,000**	**2,67,71,98,049**	**2,65,27,53,315**	**3,46,98,41,169**	**5,59,79,948**	**3,53,19,96,167**

स्रोत: डीजीएच